

श्री ०३/१

प्राथी एवं वकील प्राथी उप. नहीं। वार-२
आवाज दिलाई गई। किन्तु कोई उप.
नहीं आया। चूंकि दावावादी अहम हाजिरा
एवं अहम पैरवी में खारिज हो चुका है।
अतः प्रा. पत्र सारही होने के कारण
खारिज किया जाता है। पत्रावली दाखिल
दफ्तर है।

उपखण्ड अधिकारी
बहाड़ी (भरतपुर)